न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 33 / 2018

1. जगदीश पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. देवीलाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. राधाकृष्ण पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत पदमपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पदमपुरा तहसील नोहर ।
3. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ।

–असल अप्रार्थीगण

4. करनेल सिंह पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. किरशन सिंह पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजेन्द्र पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
7. राधाकिशन पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर निवासी
8. दयासुख पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
9. धर्मसिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
10. मोहन उर्फ श्रवण पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
11. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
12. भजाराम पुत्र मुंशीराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
13. किरशन पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
14. श्रवण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
15. चिड़ियादेवी पत्नी सजनकुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
16. पवन कुमार पुत्र सजन कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
17. किरण पुत्री सजन कुमार जाति निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
18. देवीलाल पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
19. धर्मसिंह पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
20. गुड्डी पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
21. चन्द्रकला पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
22. सुलोचना पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
23. भूपसिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
24. जयकिशन पुत्र दयासुख जाति नाई निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
25. रोशनी पुत्री जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

26. रविदत पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला ।
27. शेषचन्द पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
28. किरशन पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी पदमपुरा निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
29. दाखां पत्नी नीकुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
30. गंगाराम पुत्र नीकराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
31. सुभाष पुत्र नीकुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
32. भागमल पुत्र नीकुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
33. शकुन्तला पुत्री नीकुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
34. रावताराम पुत्र सावंताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
35. लालचन्द पुत्र आदराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
36. गौरीशंकर पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
37. बनवारी पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
38. बेगराज पुत्र बदरा जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
39. नत्थुराम पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

— अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर दिनांक 28.08.2018 अपील स0 07/2008

उपस्थितिः— श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री हरिसिंह अधिवक्ता, अप्रार्थी
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता, अप्रार्थी
श्री मांगेलाल बैनीवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक : 10.02.2022

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :—

1. निगरानीकृत निर्णय दिनांक 28.08.2018 प्रकरण संख्या 7/2008 बअनवानी राधा कृष्ण बनाम ग्राम पंचायत पदमपुरा आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित है तथा विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है।
2. मातहत अदालत ने प्रत्यार्थी स0 8 मोहन व प्रत्यार्थी स0 9 देवीलाल के पक्ष में जारी पट्टा राज. पंचायत राज. नियम 1996 के नियम 157 के तहत विनियमितिकरण का पट्टा जारी शुदा है पर कब्जा नही माना जबकि उक्त भूखण्ड के चारों और चार दीवारें

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

व मकानात बने हुवे है। इसके अतिरिक्त मातहत अदालत ने पुराना जोहड़ बनाया है तथा जोहड़ पायतन की भूमि में अपेक्षित पट्टे जारी करना बताऐ है तथा नियम विरूद्ध बतायें है। जबकि मातहत अदालत ने पत्रावली पर यह स्पष्ट नही किया कि किस पक्षकार के पक्ष में किस तिथि को पट्टा जारी किया है। उसका कितना नाप है। किन नियमों की अवहेलना की गई है। कतई स्पष्ट नही किया तथा ग्राम पंचायत पदमपुरा की तात्कालिक पट्टा बही को तलब नही किया तथा वर्तमान सरपंच/सचिव से पत्रावली पर कोई जवाब व ब्यानात लेखबद्ध नही किये इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र चक 10 जेएसएन में आता है। गाम पंचायत पदमपुरा में जोहड़ पायतन की कोई भूमि नही है विवादित जगह आबादी भूमि है एवं निगरानीधीन पटटे आबादी भूमि के ही है जो नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा किमतन पटटै जारी किये गये है। जो सही विधि अनुसार किमतन जारी किये गये है। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों/तथ्यों को नजर अन्दाज कर निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने कौनसे पक्षकार के पक्ष में पटटा विलेख कब जारी हुवे उसकी मिसल संख्या क्या है तथा रेकार्ड पटटा बही व केश बुक तलब ही नही की उक्त दस्तावेजात का कोई विश्लेषण व मनन करना आवश्यक ही नही समझा केवल प्रत्यार्थीगण के पटटे खारिज किये गये की फाईण्डिंग द्वेषतापूर्ण है। मातहत अदालत ने निगरानीकर्ता के व तरतीबी अप्रार्थीगण के पटटे सार्वजनिक जोहड़ पायतन में माने है जबकि राजस्व चक 10 जेएसएन में उक्त आबादी आती है। जो खाता संख्या 88 में 32.89 हैक्ट गै.मू. आबादी भूमि है। उक्त 32.89 हैक्ट भूमि में कोई जोहड़ पायतन नही है। इसी भूमि में निगरानीकर्ता व तरतीबी अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा विधिवत पटटे जारी किये हुए है। अप्रार्थी राधाकिशन का तर्क है कि गांव के पश्चिम में जोहड़ है जो कतई गलत है जबकि लेआउट प्लान जो ग्राम पंचायत गुडिया में दिनांक 24.01.1963 को मोजा पदमपुरा की आबादी का ले आउट प्लान मंजुर करवाया था जो जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ द्वारा स्वीकार किया गया था तथा पुनः गांव का मास्टर प्लान बनाया गया जिसे पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 22.09.1964 को मंजुरी दी गई उक्त मंजुर होने तथा हैड ऑफिसर उपनिवेशन विभाग भाखड़ा द्वारा योजना हनुमानगढ़ व तदनुपरस्त डायरेक्टर कमिश्नर बीकानेर भाखड़ा नहर परियोजना बीकानेर द्वारा मुताबिक चक की आबादी का सही होना मानकर मास्टर प्लान जारी किया। उक्त आबादी के नक्शा जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूर्व में निगरानीधीन न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 22.9.1964 को बिल्कुल दुरस्त होना स्वीकार कर उसे मंजुरी दी है। उसे उसी नक्शा के 49 वर्ष बाद ना मानने का कोइ आधार नही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियिम की धारा 90 के अनुसार उक्त दस्तावेज सही है। आबादी के पश्चिम में जहां पटटे जारी हुए है वहा कोई जोहड़ पायतन नही है। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

4. आबादी नक्शा व जमाबन्दी में कही कोई जोहड़ पायतन दर्ज नही होने के बावजूद अन्य कोई कुण्ड में पानी इकट्ठा किये जाने के ताल आदि के बारे में अथवा जल प्रवाह के लिए काम में ली जाने वाली भूमि को घोषणा अथवा प्राकृतिक बहाव को पीने के पानी तालाब अथवा कुण्ड में प्रवाहित करने के अधिकार की कोई निजी कुण्ड के पानी तालाब अथवा कुण्ड में प्रवाहित करने की घोषणा यदि अप्रार्थी राधाकिशन को करवानी थी तो उसको मातहत अदालत को निजी तलाब अथवा कुण्ड की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार हासिल नही था यह अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही था मातहत अदालत ने उक्त कानूनी तथ्यों के विपरित निर्णय दिया है जो अपास्तनीय है।

5. निर्णय दिनांक 24.07.2013 निगरानी स0 21/13 बअनवानी करनैलसिंह आदि बनाम राधाकिशन आदि में न्यायालय हाजा द्वारा जो निर्देश देकर पत्रावली पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की थी। उन निर्देशों की पालना पूर्ण से नही की गई। मातहत अदालत विधिवत तौर से कोई मौका नही देखा तथा दोनों पक्षों की मौजूदगी में कोई मौका रिपोर्ट तैयार नही की केवल अप्रार्थी राधाकिशन ने ही अपने आदमियों के हस्ताक्षर करवाये है जबकि मातहत अदालत का दोनों पक्षों की मौजुदगी में मौका देखा जाने का निर्देश स्पष्ट रूप किया। इसलिए मौका रिपोर्ट एक पक्षीय तौर से तैयार की गई इसी आधार पर निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

6. पूर्व में पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 26.08.09 अपील स0 07/09 राधाकिशन बनाम ग्राम पंचायत पदमपुरा आदि प्रस्तुत हुई जो न्यायालय हाजा द्वारा निगरानी स0 21/13 निर्णय दिनांक 09.6.2014 को पारित कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया उक वक्त वर्तमान अप्रार्थी स0 4,5,6,7,8व 11,25,व 40 रावताराम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मातहत अदालत के समक्ष उक्त अपीलांट थे परन्तु मातहत अदालत ने उक्त समस्त से दुःरभि संधि करते हुए पुनः केवल राधाकिशन अप्रार्थी से अपील प्रस्तुत करवाकर पूर्व के अपीलांट को अप्रार्थी बनाकर निगरानीधीन निर्णय पारित किया है। उक्त अपील संख्या

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07/08 दिनांक 18.02.2008 का प्रस्तुत करवाई गई है। जिससे पक्षकारों की दुःरभि संधि स्पष्ट प्रतित होती है इसके अतिरिक्त पुनः अपील प्रस्तुत करवाने का मातहत अदालत का कोई क्षेत्राधिकार हासिल नही था। क्योंकि पूर्व में जो प्रकरण रिमाण्ड किया गया उसी में निर्णय पारित करना था मातहत अदालत ने रिमाण्ड प्रकरण के निर्देशों की अवहेलना मे नई अपील जो COLLUSION करके राधाकिशन ने पेश की है उसी में निर्णय पारित किया है जो क्षेत्राधिकार की अवहेलना मे गैरकानूनी ढंग से पारित की है, इसी आधार पर निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

7. पूर्व में रिमाण्ड प्रकरण के पक्षकारों को जिसमें अपीलान्ट थे उनको प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा बिना सिकी आदेश के न्यायालय हाजा के निर्णय की अवहेलना में अप्रार्थी बनाया है तथा पक्षकारों की संख्या पूर्व पक्षकारों से ज्यादा है तथा भिन्न–भिन्न है। इसके अतिरिक्त वर्तमान निर्णय दिनांक 28.08.2018 में गुरदयाल के वारिस 14/1 से 14/5 व 18/1 से 18/5 की जगह दर्ज कर रखे है तथा किस पक्षकार का पटटा संख्या कितना था तिथि मिति क्या थी जो खारिज किया है कतई स्पष्ट नही है। इसलिए मातहत अदालत ने कतई वैवेकिय मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

8. मातहत अदालत ने सतर्कता समिति की स्टेण्डिंग कमेटी के आधार पर निर्णय पारित किया है जो दोनों पक्षों की मौजूदगी में नही है तथा मौके पर जाकर तैयार नही की गई है तथा उक्त टेबल रिपोर्ट है जो कानूनी वैधता नही रखती है। मौका रिपोर्ट में जोहड़ नही बताया गया है केवल गिनाणी बताई है। जिसका मतलब मौके पर कोई जोहड़ है ही नही, पानी के लिए घर–घर पाईप लाईन है। गांव में जी.एल.आर. बनी है घर–घर पानी सप्लाई होती है तथा जो मकान बने है व पटटे जारी किये गये वे आबादी भूमि के किमतन जारी हुवे है तथा पानी की एक आधा कुण्ड पुराने समय में पटटाधारियों ने स्वयं बनाया था। जिनकी आज कोई आवश्यकता भी नही है। उक्त भूमि पंचायत द्वारा किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित नही है केवल आबादी भूमि है। मातहत अदालत ने जोहड़ पायतन बताया है। मौका रिपोर्ट में गिनाणी बताई है जो दोनो एक दुसरे के विरोधाभाषी तथ्य है इसलिए निर्णय अपास्तनीय है।

9. मातहत अदालत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गइ है उसको प्रस्तुत करने का उसे क्षेत्राधिकार हासिल नही था क्योंकि अप्रार्थी स01 व्यथित पक्षकार नही था तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बीकानेर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपील प्रस्तुत की जा सकती है। रिमाण्डेड प्रकरण के जैरकार रहते न्यायालय हाजा के निर्देशों की अवहेलना में तथा पूर्व में निर्णय दिनांक 09.06.2014 को पारित किया गया उसमें राधाकिशन अप्रार्थी स0 1 था उसको ज्ञान था आदि कानूनी बातों को नजर अन्दाज करके निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है।

10. उक्त पटटो को निरस्त किया गया है वहां अधिकाश पटटाधारियों के मकानात निर्मित है तथा इसके अतिरिक्त पंचायत समिति के समक्ष अपील काल बाधित थी मियाद का कोई संतोषजनक कारण प्रकट नही किया गया था। व्यक्तिगत आधार पर किसी एक व्यक्ति की शिकायत पर पुराने समय में जारी पटटे कानूनी तौर से निरस्त नही किये जा सकते है। मातहत अदालत ने उक्त निगरानीधीन निर्णय विधि की अवहेलना में पारित किया है जो काबिल खारिजी के है।

11. निगरानीधीन निर्णय दिनांक 28.08.2018 को पारित किया गया है जिसका प्रार्थीगण को पूर्व में ज्ञान नही था तथा विकास अधिकारी हड़ताल पर थे तथा कर्मचारियों व अभिभाषकों की हड़ताल थी तथा प्रार्थी द्वारा समय पर यानि दिनांक 27.09.2018 को पता चलने पर आवेदन प्रस्तुत किया फिर बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

निगरानी प्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 28.08.2018 प्रकरण स0 07/2008 बअनवानी राधा कृष्ण बनाम ग्राम पंचायत पदमपुरा आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि पंचायत समिति द्वारा दिनांक 28.08.2018 के निर्णय में भूखण्ड को पुराना जोहड़ बताया है जबकि राजस्व चक 10 जे.एस.एन. में 32.89 हैक्ट गै.मु. आबादी भूमि है। इसमें जोहड़ पायतन नही है। पट्टे विधिवत जारी हुए है। जोहड़ पायतन का कथन गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.01.1963 को आबादी का ले आउट प्लान मंजुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करवाया था। तथा पुनः गांव की आबादी का मास्टर प्लान बनाया गया जिसे पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 22.09.1964 को मंजुरी दी गई। जोहड़ संबंधी राजस्व रेकार्ड पेश नही किया। मौका नक्शा में गिनाणी का उल्लेख किया गया है जो की आबादी भूमि है, जोहड़ नहीं बताया गया है। निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 38 व 39 ने बहस में निवेदन किया कि हर पट्टे की अलग अपील हो। 100 पट्टो की एक ही अपील नही की जा सकती है। निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति पर अपील हों, फोटो प्रति पर अपील नहीं हो सकती है। पट्टे बहाल कर निगरानी स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की अपील स0 07/08 निर्णय दिनांक 28.06.2013 को निगरानी सख्या 21/13 निर्णय दिनांक 09.06.2014 द्वारा निरस्त कर प्रकरण प्रेतिप्रेषित किया गया था। पुरानी निगरानी में जो मुद्दे है वहीं नई निगरानी में है। राजस्व रिकार्ड में जोहड़ पायतन नही है लेकिन मौके पर गिनाणी है। जहां पानी भरता है एवं सिंचाई विभाग द्वारा पानी की बारी बंद्धी हुई है। मौका रिपोर्ट से साबित है कि उक्त जगह गिनाणी के रूप में काम में आ रही है। पटटा जारी करने की प्रकिया का उल्लेख पंचायत राज नियम 145 से 146 में है। नियम 167 के तहत निलामी प्रकिया द्वारा डीएलसी रैट से बोली शुरू होकर उच्चतर बोली दाता को छोड़ी जाती है। पटटे पर सरपंच व सचिव दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक है। जबकि जगदीश व देवीलाल के पटटो पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। देवीलाल का पटटा नियम 157 विनियमितिकरण के तहत जारी हुआ है। परन्तु मौका रिपोर्ट के अनुसार कोई कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय सही है। गिनाणी सार्वजनिक उपयोग की है। पटटे खारिज योग्य है अतः निगरानी खारिज फरमावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में रिमाण्ड किये गये प्रकरण में विवादित पटटो के संबंध में पुनः निर्णय पारित करते समय संबंधित पटटा बही, कैश बुक को तलब कर पूर्ण अवलोकन नही किया गया तथा ग्राम विकास अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत की रिपोर्ट भी नहीं ली गई तथा ना ही दोनों पक्षों की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया जाना पाया जाता है। पूर्व निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए एवं पक्षकारों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर विवादित स्थल पर जल भराव/जोहड़ पायतन की स्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करें तथा विवादित पटटो से संबंधित रिकार्ड यथा पटटा बही, केश बुक एवं पटटा पत्रावलियों का अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 10.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10/02/2022

(भागीरथ यादव, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)